

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांकC/6646/

जबलपुर, दिनांक 17/10/2025

श्रीमती दीप्ती व्यास, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर को दिनांक 21.08.2024 से 30.09.2024 तक 41 दिन का लघुकृत अवकाश एवं दिनांक 01.10.2024 से 29.03.2025 तक 180 दिन का प्रसूति अवकाश एवं दिनांक 30.03.2025 से 28.06.2025 तक 91 दिन का संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति
महोदय के आदेशानुसार


(धरमिन्दर सिंह)
रजिस्ट्रार जनरल
१२.

पृष्ठांकन क्रमांकC/6647/

जबलपुर, दिनांक 17/10/2025

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक/प्रशासन/अवकाश/2488 इंदौर दिनांक 10.09.2025 के संदर्भ में श्रीमती दीप्ती व्यास, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर का निर्धारित प्रपत्र आवेदन पत्र, डिस्चार्ज कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, वचन पत्र एवं अनफिट-फिटनेस चिकित्सा प्रमाण पत्र को वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. रजिस्ट्रार (प्रशा.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
3. सहायक अवकाश, स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)
१२.